

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 83/2017

शिवराज प्रिया पेमा गुर्जर निवाली - नरौली (बुडी) बनाम

- ① रोकेश प्रिया लाल लाल ओलवाल नि. माण्डलगढ.
- ② शंकर सिंह प्रिया राज सिंह राजपुर नि. पुलिस थाने के पास माण्डलगढ
- ③ काळ लाल प्रिया बालू माली निवाली - करणपुरा
- ④ सोलाल प्रिया पेमा गुर्जर नि. नरौली

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री शिवराज प्रिया पेमा गुर्जर ने जरिये अभिभाषक श्री सावर मल रेबारी ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम करणपुरा प0ह0 होडा तह0 माण्डलगढ मे आराजीन0

431 व 434/3 कुल 2 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा किता 02 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2012-2015 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काशतकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम करणपुरा की आराजी न0 431, 434/3 कुल 2 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा

2 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा करणपुरा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 150 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।